

Mai

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./86/2024/40775

दिनांक : 12/11/24

:: आ दे श ::

I

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)130/13/921 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा इस न्यायक्षेत्र के निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवार्यें लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों के विरुद्ध लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध, पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन राजस्थान सेवा नियम के नियम 164-ए के तहत, कॉलम संख्या-4 में अंकित प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अध्याधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम सेवानिवृत्त कार्मिक	पदस्थापन कार्यालय का नाम	प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक
1	2	3	4
1	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, से.नि. वरिष्ठ मुंसरिम	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	38,700/-
2	श्री धर्मसिंह, से.नि. रीडर ग्रेड तृतीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	18,100/-
3	श्री राकेश कुमार शर्मा, से.नि. शरिस्तेदार ग्रेड तृतीय	अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	26,100/-
4	श्री सुन्दर लाल, से.नि. लिपिक ग्रेड द्वितीय	प्रतिलिपि शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर	14,400/-
5	श्री केदार नाथ शर्मा, से.नि. लिपिक ग्रेड द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा	18,100/-

II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)130/13/921 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा श्री अभय सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक ग्रेड प्रथम को लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध एक वर्ष पश्चात द्वितीय बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति बढ़ाई जाने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री अभय सिंह सेवानिवृत्त लिपिक ग्रेड प्रथम को कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, बहरोड में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध, पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन राजस्थान सेवा नियम के नियम 164-ए के तहत, प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक 23,300/- पर द्वितीय बार एक वर्ष के लिए अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अध्याधीन पुनर्नियुक्ति अवधि बढ़ाई जाकर, पदस्थापित किया जाता है।

12/11/24
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज०)

उपरोक्त आदेश क्रम-I व II के सम्बन्ध में पुनर्नियुक्ति की शर्तें :-

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता कार्मिक(क-2) विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 26.09.2019 के अनुक्रम में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 5(4) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञात होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएँ 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरा दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

III

निम्नांकित सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क्र. सं.	नाम सेवानिवृत्त कार्मिक	पदस्थापन कार्यालय का नाम	कार्यव्यवस्था कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, से.नि. वरिष्ठ मुंसरिम	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, तिजारा
2	श्री केदार नाथ शर्मा, से.नि. लिपिक ग्रेड द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, राजगढ
3	श्री अभय सिंह, से.नि. लिपिक ग्रेड प्रथम	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, बहरोड	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर

नोट :-

- 1- उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर संबंधित पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा उनका पुनर्नियुक्ति पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- 2- आदेश क्रम-I व II में अंकित जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत कार्य करने हेतु आदेश क्रम- III में अंकित कार्यव्यवस्था कार्यालय में लगाया गया है, उनके सम्बन्ध में मूल पदस्थापन कार्यालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देश है कि वे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
- 3- पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की उपस्थिति रिपोर्ट एवं कार्यमुक्ति आदेश की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवावें।


Sd/-
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था./2024/40776-93

दिनांक : 12/11/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, तिजारा
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 राजगढ/लक्ष्मणगढ/सं. 1 बहरोड/बानसूर
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा/मांलाखेडा
4. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5, अलवर
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर
6. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
7. संबंधित कर्मचारी श्री.....
8. ✓ मिस्टर्म ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।



(हरिन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र